अपील सूचना अधिकार संख्या 196/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23–के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

01.05.2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2016 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवायी गयी है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2016 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

> सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर के पत्रांक 192–194 दिनांक 04.01.16 के बिन्दु संख्या 1 से 3 में अंकित तथ्य कि
>
> लोक सभा/विधान सभा चुनाव कार्यो का निष्पादन करने वाले बी.एल.ओ. द्वारा मुख्यालय छोड़ने संबंधित अवकाश निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में नही है। अवकाश संबंधित सूचना श्रीमान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरन पदाधिकारी (एसडीएम) के क्षेत्राधिकार से संबंधित है।
>
> 1– कृपया उपरोक्त कथनो व पत्र के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करे कि लोक सभा/विधान सभा चुनाव कार्यो का निष्पादन करने वाले बी.एल.ओ. स्वयं अपने आपको चुनाव जिस दिवस कार्य के निष्पादन की स्वीकारोक्ति कर रहा है उसी दिवस या दिनों को मुख्यालय छोड़ने संबंधित अवकाश की अनुमति बाबत सूचना व आदेश व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से टिप्पणी एवं रिकार्ड चाहे जाने पर उनके द्वारा उपपंजियक श्रीगंगानगर को लिखा गया कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र सं0 6340 दिनांक 11.11.16 आपको अन्तरित किया गया है इसलिए उक्त अपील का जबाब प्रस्तुत करें। जिस पर उपपंजियक श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 02 दिनांक 02.01.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्र सं0 1460 दिनांक 09.12.2016 द्वारा उसे उपलब्ध करवा दी गयी है।

उपपंजियक श्रीगंगानगर ने पत्र संख्या 1460 दिनांक 09.12.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

> उपरोक्त प्रसंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि बीएलो की नियुक्ति सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण (एसडीएम) द्वारा की जाती है। मुख्यालय छोड़ने संबंधी सूचना पूर्व में आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी है। कार्यालय द्वारा कोई भी मिथ्या सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। नियम व आदेश संबंधी सूचना प्राप्त हेतु कार्यालय पत्र सं0 1453 दिनांक 16.11.2016 द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शासन सचिवलाय, जयपुर से निवेदन किया गया है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के आवेदन पत्र सं0 6340 दिनांक 11.11.16 के साथ उपपंजियक श्रीगंगानगर के पत्र सं0 192–194 दिनांक 04.01.16 की प्रति सलंग्न करके इससे संबंधित सूचना चाही गई थी जो उपपंजियक के उक्त पत्र 04.01.16 के अनुसार भी सूचनांओ का संबंध निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकार (एसडीएम) श्रीगंगानगर के कार्यालय से है और अपीलार्थी द्वारा अपना उक्त आवेदन पत्र भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकार (एसडीएम) श्रीगंगानगर को ही प्रस्तुत किया था। इसलिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकार (एसडीएम) श्रीगंगानगर को ही इस पर निर्णय करना चाहिए था न कि उप पंजियक श्रीगंगानगर को भिजवाना चाहिए था। इसलिए लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं0 1840 दिनांक 15.11.16 से उपपंजियक श्रीगंगानगर को भिजवाया जाना सही नही कहा जा सकता। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकार (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन सं0 6340 दिनांक 11.11.16 पर नियमानुसार सूचनांओ के संबंध में आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्णय करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1025-26
18-5-17

आदेश आज दिनांक 01.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर